मुस्लिम विधि
(पारिवारिक विधि)

Muslim Law (Family Law)

JSB LAW College

अनुभवी अध्यापकों द्वारा

Jaswant Singh Bhadauria Law Colege

Kosi Khurd, Bharatpur Road, Mathura

Mob. : 8979000125, 126

Scanned with CamScanner

Selected Study Material

JSB LAW College

Session 2019-20

Scanned with CamScanner

मुस्लिम विधि
Muslim Law

निकाह (Marriage)

इस्लाम के अभ्योदय से पूर्व प्राचीन अरव समाज में विवाह या दाम्पत्य जीवन जैसी कोई संकल्पना अस्तित्व में नहीं थी । असीमित बहुपत्नीत्व प्रचलित था । सगी माँ तथा सगी बहन से भिन्न किसी भी महिला से लैंगिक सम्वन्ध स्थापित किये जा सकते थे । महिलाओं की दशा बहुत ही सोचनीय थी ।

इस्लाम के आविर्भाव के साथ ही महिलाओं की स्थितियों में सुधार हो गया । असीमित बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया । एक ही समय में अधिकतम चार पत्नियों की अनुमति दी गयी । सामाजिक आवश्यकता एवं बाध्यता के कारण कुरान चार पत्नियों की अनुमति देता है । इस्लाम विरोधियों से युद्ध करते समय भारी संख्या में मुस्लिम पुरुष शहीद हुये थे निराश्रित विधवाओं तथा असहाय कन्यायें शोषण का शिकार हो रही थीं । एक ही व्यवहारिक उपाय रह गया था । सीमित बहुपत्नित्व की अनुमति देना ही एक मात्र व्यवहारिक उपाय रह गया था । पति से यह कठोर अपेक्षा है कि वह अपनी सभी पत्नियों के साथ समानता का व्यवहार करे।

अनेक मुस्लिम विद्वान कुरान की सुसंगत आयत की मूल भावना के आदार पर यह दावा करते हैं कि कुरान एक पत्नीत्व के पक्ष में है । मोहम्मद साहब ने चार विवाह किये थे । उनके इस आचरण को परम्परा (सुन्नी) की प्रास्थिति प्राप्त है । अतः यह माना जाता है कि मुस्लिम पुरुष एक ही समय पर चार पत्नियाँ रख सकता है ।

प्रगतिशील मुस्लिम एक पत्नीत्व में ही विश्वास करते हैं । 5% से भी कम मुस्लिम पुरुष दो या अधिक पत्नियाँ रखे हुये हैं ।

टर्की तथा ट्यूनिसिया जैसे मुस्लिम राष्ट्रों ने समुचित विधायन द्वारा एक पत्नीत्व की अपेक्षा की है ।

पाकिस्तान में ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है । वहाँ बहुपत्नीत्व को हतोत्साहित करने के लिये कुछ कठोर नियम बनाये गये हैं । भारत में मुस्लिम पुरुष चार पत्नियाँ रख सकता है । यह उसका विधिक अधिकार है । ऐसा मुस्लिम पुरुष जो शासकीय सेवा में है शासन की पूर्वानुमति के बिना एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता है ।

ISBL Law College

Scanned with CamScanner

परिभाषा Definition

"मुस्लिमों में विवाह शुद्ध रूप से एक संविदा है । यह कोई संस्कार नहीं है ।"

- न्यायाधीश महमूद

"विधिक शब्दावली में निकाह से एक ऐसी संविदा का बोध होता है, जो संतानोत्पत्ति को वैधानिकता प्रदान करने के लिये की जाती है ।" -- हेदाया

स्पष्ट है कि मुस्लिम विवाह एक संविदा है न कि संस्कार । सहवास को वैधानिकता तथा सन्तान को औरसता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है । यह कहना पूर्ण सत्य नहीं है कि मुस्लिम विवाह मात्र एक शुद्ध संविदा है । वस्तुतः मुस्लिम विवाह का धार्मिक एवं सामाजिक महत्व भी । निकाह एक सामाजिक संस्था है ।

मुस्लिम विवाह में निम्नलिखित संविदीय तत्व विद्यमान हैं--

1. सक्षम पक्ष
2. स्वतन्त्र सहमति
3. प्रतिफल
4. पारस्परिक आभार
5. प्रस्तावना तथा प्रतिग्रहण
6. विवाह भंग की स्थिति में पक्षकारों के अधिकार एवं कर्त्तव्यों का विनियमन
7. औपचारिकतायें

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सारतः मुस्लिम विवाह एक संविदा है ।

मुस्लिम विवाह की प्राकृति संविदीय है किन्तु उसके सामाजिक एवं धार्मिक पक्ष भी हैं प्रमुख सामाजिक पक्ष निम्नलिखित हैं--

1. निकाह की वैधता हेतु प्रतिफल आवश्यक है यदि प्रतिफल नियत भी नहीं होता तो भी पत्नी उचित मेहर की अधिकारिणी है । यह मेहर प्रेम स्नेह तथा समान का प्रतीक है । यह पति की स्वेच्छा चारिता पर अंकुश भी है । यह दुर्दिनों में काम आने वाला धन है ।

2. कोई व्यक्ति कितनी ही संविदायें कर सकता है, किन्तु मुस्लिम पुरुष केवल चार निकाह (एक ही समय में) कर सकता है । मुस्लिम महिला एक ही समय पर एक निकाह कर सकती है ।

3. संविदा माता-पिता, भाई-बहन तथा सन्तानों के बीच हो सकती है, किन्तु उनके मध्य निकाह नहीं हो सकता है ।

4. धार्मिक यात्रा (हज) के दौरान निकाह नहीं किया जा सकता है । (शिया विधि) सामान्य संविदा की जा सकती है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि निकाह शुद्ध सिविल संविदा से भिन्न है । निकाह के धार्मिक पक्ष भी हैं । प्रत्येक मुस्लिम महिला तथा पुरुष निकाह का अधिकार रखता है बिना किसी उचित कारण के अविवाहित रह जाना कुरान के विरुद्ध होगा । यह एक अधार्मिक कृत्य होगा । निकाह

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

एक लौकिक सव्यवहार के साथ-साथ एक धार्मिक कृत्य भी है ।

अनीस बेगम बनाम मोहम्मद असतफा हुसैन (1933) इला0 में न्यायमूर्ति सुलेमान ने यह प्रेषित किया कि मुस्लिम निकाह संविदा के अतिरिक्त एक धार्मिक संस्कार तथा आचरण भी है।

विधिमान्य विवाह की आवश्यक अपेक्षायें--

1. विवाह के दोनों पक्ष सक्षम होने चाहिये ।
2. पक्षकारों (या उनके संरक्षकों को) की स्वतन्त्र सहमति आवश्यक है ।
3. विवाह की औपचारिकताओं की संतुष्टि ।
4. दोनों पक्षों के मध्य प्रतिषिद्ध सम्बन्ध नहीं होना चाहिये ।

1. सक्षम पक्षकार-- निकाह के प्रयोजन हेतु सक्षमता के निम्नलिखित आधार हैं--

(क) यौवनावस्था की आयु प्राप्त

(ख) स्वस्थ चित

(ग) मुस्लिम

विवाह मेहर तथा विवाह विच्छेद के प्रयोजनों हेतु वयस्कता की आयु 18 वर्ष नहीं है। यौवनावस्था की आयु ही काफी है यौवनावस्था की आयु 15 वर्ष है। हेदाया के अनुसार लड़के तथा लड़की के लिये यह आयु क्रमशः 12 वर्ष तथा 9 वर्ष है ।

मुस्मात अतीका बेगम बनाम मो0 इब्राहीम के वाद के अनुसार यदि शारीरिक गठन के आधार पर यौवनावस्था निर्धारण हो तो 15 वर्ष की आयु निर्विवाद रूप से यौवनावस्था की आयु होगी ।

यौवनावस्था अप्राप्त व्यक्ति निकाह के लिये वयस्क नहीं माना जाता है । वह स्वयं अपना विवाह नहीं कर सकता । वह अवयस्क माना जायेगा । संरक्षक की सहमति से अवयस्क का विवाह हो सकता है । इस हेतु अभिभावक का वरीयता क्रम इस प्रकार है--

1. पिता
2. पितामह
3. भाई या पितृ कुल के अन्य सदस्य ।
4. माता
5. मामा या मातृकुल के अन्य सदस्य ।

उपरोक्त में से कोई संरक्षक न होने पर राज्य के प्रतिनिधि होने के रूप में काजी अवयस्क का विवाह करा सकता है ।

शिया विधि में अभिभावक के रूप में पिता तथा पितामह (कितनी ही अन्य पीढ़ी के) अवयस्क के नियुक्त की सहमति दे सकते हैं ।

2. स्वतन्त्र सहमति--

विधिमान्य मुस्लिम विवाह के लिये स्वतन्त्र सहमति आवश्यक है । यह सहमति पक्षकारों

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

की या उनके अवयस्क होने पर उनके संरक्षक की हो सकती है अतः कपट मिथ्यापदेश मूल या प्रपीड़न आदि के अधीन प्राप्त की गई सहमति दूषित सहमति होगी फलतः विवाह वैध न होगा।

3. औपचारिकताओं की सन्तुष्टि-

विधि मान्य निकाह हेतु सक्षम पक्षकारों की स्वतन्त्र सहमति के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि विवाह हेतु विधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हो । औपचारिकताओं की दृष्टि से निम्नलिखित अपेक्षायें निर्धारित हैं--

1. प्रस्ताव तथा स्वीकृति
2. प्रस्ताव तथा स्वीकृति की पारस्परिकता
3. साक्षियों की उपस्थिति
4. पंजीकरण

निकाह सारतः एक सिविल संविदा है । अतः प्रस्थापना तथा प्रतिग्रहण इसकी प्रथम अपेक्षा है । प्रस्ताव तथा प्रतिग्रहण एक ही बैठक में होने चाहिये निकाह हेतु इच्छा व्यक्त करना प्रस्ताव कहलाता है ।

प्रस्ताव वह या उसके अभिभावक द्वारा किया जाना चाहिये इसकी स्वीकृति वधू या उसके अविभावक द्वारा होनी चाहिये । प्रस्ताव तथा प्रतिभ्रमण निश्चायक एवं स्पष्ट होने चाहिये । प्रस्ताव या प्रतिग्रहण का लिखित होना आवश्यक नहीं है ।

सिविल प्रस्ताव या प्रतिग्रहण से निर्मित वैवाहिक संविदा काजी नाम कहलाता है । यह विवाह के प्रमाण का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है । प्रस्ताव तथा प्रतिग्रहण एक ही बैठक में होने चाहिये उनमें तारतम्यता होनी चाहिये । प्रस्ताव तथा प्रतिग्रहण एक दूसरे के पूरक होने चाहिये उनमें पृथकता नहीं होनी चाहिये । सशर्त प्रतिग्रहण प्रतिस्थापना हो जाते हैं ऐसी स्थिति में पारस्परिकता नहीं रह जायेगी, विवाह शून्य हो जायेगा ।

प्रस्ताव तथा प्रतिग्रहण दो सक्षम साक्षियों की उपस्थिति में होना चाहिये । स्वस्थचित्त तथा वयस्क मुस्लिम पुरुष साक्षी हैं यदि दो पुरुष साक्षी न मिल पायें तो एक पुरुष तथा दो महिला साथी काफी होंगे । साथियों के अभाव में हुआ विवाह अनियमित होगा ।

शिया विधि में साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है । निकाह का पंजीकरण आवश्यक नहीं है । कुछ राज्यों में मुस्लिम विवाह तथा तलाक हेतु पंजीकरण की अपेक्षा करने वाले अधिनियम पारित (पास) किये हैं । फिर भी यदि पंजीकरण नहीं कराया जाता तो विवाह शून्य न होता । यदि कोई सुन्नी पुरुष ईसाई महिला से विवाह करता है तो पंजीकरण आवश्यक होगा, अन्यथा विवाह शून्य हो जायेगा ।

पक्षकारों के मध्य प्रतिषिद्ध सम्बन्ध नहीं होना चाहिये-- विवाह के पक्ष प्रतिषिद्ध सम्बन्धों में नहीं होने चाहिये । निषेध दो प्रकार के हैं

1. सम्पूर्ण निषेध ।
2. सापेक्ष निषेध ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

सम्पूर्ण निषेध के उल्लंघन में निकाह शून्य होगा । पूर्ण प्रतिषिद्ध के निम्नलिखित तीन आधार हैं--

1. रक्त सम्बन्ध
2. निकटता
3. धात्रेय सम्बन्ध

सापेक्ष निषेध वे हैं जिनका पालन अनिवार्य नहीं है, किन्तु इनका पालन उचित माना गया है । अतः सापेक्ष निषेध आज्ञात्मक न होकर निदेशात्मक है । सापेक्ष निषेध के निम्नलिखित आधार हैं--

1. विधि विरुद्ध संयोजन
2. पांचवा विवाह
3. अमुस्लिम से विवाह
4. साक्षियों की अनुपस्थिति
5. इद्दत के दौरान विवाह

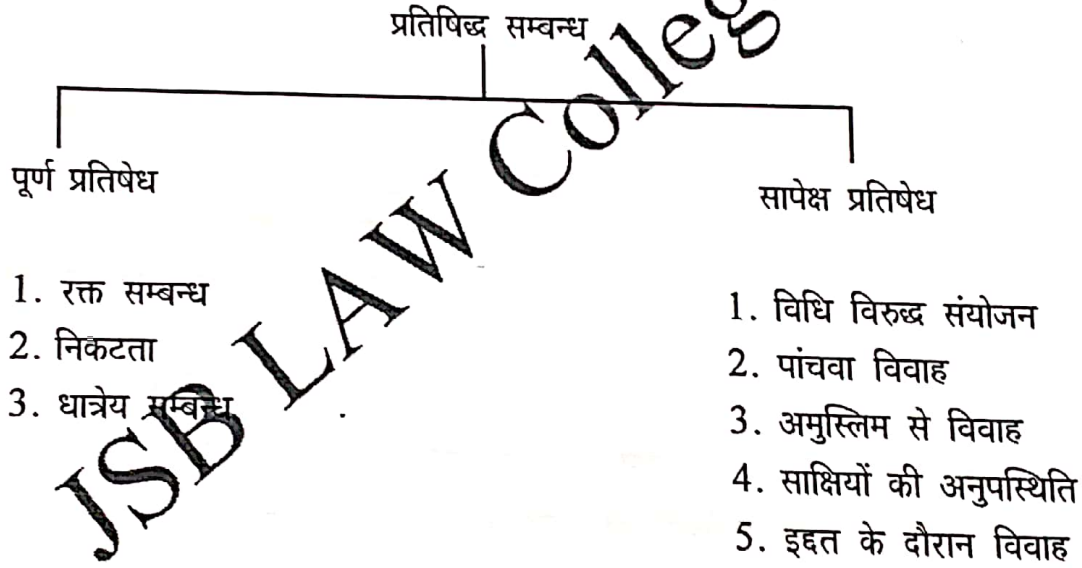

JSB LAW College

पूर्ण प्रतिषेध--

रक्त सम्बन्ध निकटता तथा धात्रेय सम्बन्धों से जो मुस्लिम पुरुष तथा महिला के मध्य निकाह शून्य होगा ।

(क) रक्त सम्बन्ध के आधार पर कोई मुस्लिम निम्नलिखित सम्बन्धियों से विवाह नहीं कर सकता है--

(i) अपने पूर्वजों तथा वंशज (चाहे कितनी ही उच्च या निम्न पीढ़ी के हों)

(ii) अपने पिता या माता के वंशजों से या पूर्वजों से (चाहे कितनी ही उच्च पीढ़ी के या चाहे कितनी ही निम्न पीढ़ी के) चचेरे, ममेरे, फुफेरे तथा मौसेरे भाई बहनों में कोई निषेध

Scanned with CamScanner

सम्बन्ध नहां है, इनमें विवाह पूर्णतः वैध होगा ।

(iii) पूर्वजों के भाई-वहन से निकाह नहीं किया जा सकता है । पूर्वजों के भाई-वहनों से विवाह प्रतिषिद्ध है । किन्तु ऐसे भाई या वहन के पति या पत्नी से विवाह किया जा सकता है । अतः मुस्लिम पुरुष चाचा या मामा की विधवा या तलाकशुदा (चाची/मामी) से विवाह कर सकता है ।

2. निकटता– निकटता वैवाहिक सम्बन्धों से उत्पन्न होती है । पति-पत्नी के मध्य रक्त सम्वन्ध नहीं होता फिर भी उनके मध्य बहुत निकटता होती है अतः एक का पिता या माता दूसरे के पिता या माता सदृश्य समझा जाता है ।

3. धात्रेय सम्बन्ध- धात्रेय सम्बन्ध से जुड़े पक्षों के मध्य विवाह प्रतिषिद्ध है । अतः यदि दो वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को उसकी सगी माँ के अविलित किसी अन्य महिला ने अपना स्तनपान कराया हो तो ऐसी महिला उस बच्चे की धायमाता कहलाती है । ऐसी माता तथा उनके अन्य सम्बन्धियों से विवाह नहीं किया जा सकता है । सुन्नी विधि कुछ उदार है । शिया विधि कोई अपवाद स्वीकार नहीं करती । अतः धात्रेय सम्बन्धों के उल्लंघन में विवाह शून्य होगा ।

सापेक्ष प्रतिषेध–

सापेक्ष सम्बन्ध के उल्लंघन में किया गया विवाह, विवाह को शून्य नहीं बनाता है ।

ये वे निषेध हैं जिनका पालन आवश्यक (अनिवार्य) नहीं है किन्तु उचित अवश्य है ।

सापेक्ष प्रतिषेध के उल्लंघन में किया गया विवाह अनियमित माना जाता है । निम्नलिखित सापेक्ष निषेध सन्दर्भ योग है ।

1. विधि विरुद्ध संयोजन,
2. पांचवीं महिला से विवाह
3. गैर मुस्लिम से विवाह
4. सक्षम साक्षियों की अनुपस्थिति
5. इद्दत काल में विवाह

1. विधि विरुद्ध संयोजन– सुन्नी विधि में विधि विरुद्ध संयोजन में किया गया विवाह अनियमित होता है किन्तु शिया विधि में ऐसा विवाह शून्य है ।

ऐसी महिला जो पत्नी से रक्त सम्वन्ध या निकटता या धात्रेय सम्वन्ध से जुड़ी हो, से विवाह करना विधि विरुद्ध संयोजन है । अतः कोई पुरुष पत्नी की सभी बहिन से निकाह नहीं करता है । पत्नी की वुआ या मौसी या भतीजी से भी विवाह नहीं किया जा सकता है । शिया विधि में पत्नी की वुआ या मौसी से विवाह किया जा सकता है ।

2. पांचवीं महिला से विवाह– चार पत्नियों के जीवित रहते हुये पांचवी महिला से विवाह शून्य है । (शिया विधि) सुन्नी विधि में पांचवां विवाह केवल नियमित होगा ।

3. गैर मुस्लिम से विवाह- शिया विधि में किसी भी गैर मुस्लिम महिला से विवाह नहीं

ISB LAW College

Scanned with CamScanner

किया जा सकता है । ऐसा विवाह शिया विधि में शून्य होगा ।

4. सक्षम साक्षियों की अनुपस्थिति-- सुन्नी विधि दो सक्षम साक्षियों की उपस्थिति में विवाह की उपेक्षा करती है साक्षियों की अनुपस्थिति में विवाह अनियमित होगा ।

शिया विधि में साक्षी आवश्यक नहीं है ।

5. इद्दतकाल में विवाह-- इद्दत अवधि व्यतीत कर रही महिला से निकाल अनियमित है (सुन्नी विधि) शिया विधि में ऐसा विवाह शून्य होगा ।

विविध निषेध-

1. शिया विधि हज पर गये पुरुष द्वारा अराधना स्थल पर पहुँचकर निर्धारित वस्त्र पहन लेने के वाद किया गया विवाह शून्य है । (सुन्नी विधि) में ऐसा कोई प्रतिपेध मान्य नहीं है ।

2. मुस्लिम विधि वहु पतीत्व को मान्यता नहीं देती है । पति के होते हुये किसी अन्य पुरुप से विवाह शून्य होगा ।

3. तलाक शुदा मुस्लिम महिला से उसका पूर्व पति पुर्नविवाह कर सकता है । इसके लिये अनेक कठिन तथा अव्यवहारिक शर्तों की पूर्ति आवश्यक होगी ।

यदि इन शर्तों की अवहेलना में पुर्न विवाह कर लिया जाता है तो यह अनियमित होगा।

वैध निकाह के निम्नलिखित विधिक परिणाम होंगे-

1. पति-पत्नी की प्रस्थिति
2. लैंगिक सम्वन्ध वैध
3. सन्तो धर्मज
4. पारस्परिक उत्तराधिकार
5. दोनों पक्ष प्रतिपेध सम्वन्धों की परिधि में
6. पत्नी मेहर की अधिकारिणी होगी ।
7. तलाक होने पर इद्दत पालन
8. पत्नी पति के विरुद्ध भरण-पोषण की अधिकारिणी ।

ख्यार, उल-वुजुग (यौवनावस्था का विकल्प)

वैध निकाह के लिये अन्य वातों के अलावा पक्षकारों के सक्षम होना आवश्यक है सक्षमता से तात्पर्य स्वस्थ चित्त होने तथा वयस्क होने से है । विवाह, मेहर तथा विवाह विच्छेद के प्रयोजनों हेतु वयस्कता से तात्पर्य यौवनावस्था प्राप्त कर लेने से है । 15 वर्ष से कम आयु की वालिका या वालक उचित मामलों में यौवनावस्था प्राप्त माना जा सकते हैं । 15 वर्ष निर्विवाद रूप से यौवनावस्था की उम्र मानी जाती है .

अवयस्क मुस्लिम का विवाह इसके संरक्षक द्वारा किया जा सकता है । सुन्नी विधि वरीयता क्रम में निम्नलिखित संरक्षकों को मान्यता देती है ।

1. पिता
2. पितामह

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

3. भाई तथा पित्रकुल के अन्य सदस्य
4. माता
5. मामा या मात्रकुल के अन्य सदस्य

शिया विधि में निकाह के प्रयोजनों के लिये केवल पिता एवं पितामह ही अधिकृत है ।

अवयस्क यौवनावस्था प्राप्त कर लेने पर, दौरान अवयस्कता कराये गये निकाह को अनुमोदित या अनुमोदित कर सकता है । उनका यह अधिकार ख्यार-उल-वुलुग कहलाता है । मुस्लिम विधि के अन्तर्गत यौवनावस्था के विकल्प के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण विधि निम्न है--

1. पिता या पितामह द्वारा कराये गये निकाल में यौवनावस्था का विकल्प नहीं होता है । ऐसा विवाह अवयस्क पर बन्धनकारी होता है । (वशर्ते ऐसा विवाह कपटपूर्वक या असावधानी पूर्वक न कराया गया हो)

2. सन् 1939 से पहले पति तथा पत्नी दोनों के लिये यौवनावस्था के विकल्प सम्बन्धी नियम समान थे । सन् 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम पारित किया गया । इसके द्वारा मुस्लिम पत्नी अधिकार बढ़ गया है वह पिता या पितामह द्वारा सम्पन्न कराये गये निकाह के सम्बन्ध में अब यौवनावस्था का विकल्प रखती है ।

3. मुस्लिम पत्नी को यौवनावस्था का विकल्प 18 वर्ष की आयु तक ही प्राप्त है तब तक बना रहता है जब तक वह इसका प्रयोग न करे ।

4. लैंगिक सहवास यौवनावस्था के विकल्प का अन्त कर देता है । (बशर्ते सहवास पत्नी की इच्छा के विरुद्ध या अवयस्क पत्नी के साथ न हुआ हो) यदि यौवनावस्था के विकल्प का प्रयोग करते हुये विवाह अस्वीकार कर दिया जाता है तो वह स्वयं ही विवाह-विच्छेद नही माना जाता है । विवाह भंग के लिये न्यायालय द्वारा पुष्टिकरण आवश्यक है ।

ISB LAW College

मेहर (Dower)

सामान्य--

मेहर वर धनराशि या सम्पत्ति है जो विवाह के फलस्वरुप पति द्वारा पत्नी को प्रतिफल स्वरुप प्रेम तथा स्नेह के रूप में दिया जाता है ।

मुस्लिम विवाह एक संविदा है । मेहर इस संविदा का प्रतिफल है । मुस्लिम विधि में मेहर न तो पत्नी का मूल्य और न ही लैंगिग सम्बन्ध का प्रतिफल है ।

मेहर का उल्लेख अनिवार्य नहीं है, किन्तु बिना मेहर के कोई विवाह नहीं हो सकता अतः मेहर वैवाहिक प्रास्थिति की अनिवार्य शर्त है । मेहर की वैवाहिक उपयोगिता भी है । यह दूर दिन में काम आने वाला धन है । यह पति के तलाक के अप्रतिबन्धित अधिकार पर भी एक अंकुश भी है ।

मेहर की परिभाषा-- अब्दुल कादिर बनाम सलीमा (1886) इला0 के प्रकरण में न्यायमूर्ति महमूद ने मेहर को निम्नवत परिभाषित किया है--

Scanned with CamScanner

"मेहर वह धनराशि या सम्पत्ति है जिसे पति विवाह के प्रतिफल स्वरूप पत्नी को देने या हस्तान्तरित करने का वचन देता है, जहाँ मेहर स्पष्टतः निश्चित नहीं किया गया है वहाँ भी विधि, विवाह के अनिवार्य परिणाम के रूप में पत्नी को मेहर का अधिकार प्रदान करती है।"

अब्दुल रहीम के अनुसार- "मेहर वह धनराशि या सम्पत्ति है जिसे पत्नी विवाह द्वारा प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है। यह विवाह संविदा में पति की ओर से दिया गया प्रतिफल नहीं है। यह विधि द्वारा पति पर आरोपित दायित्व है। यह पत्नी के प्रति प्रेम व सम्मान प्रकट करने का अधिकार है।"

मेहर का वर्गीकरण

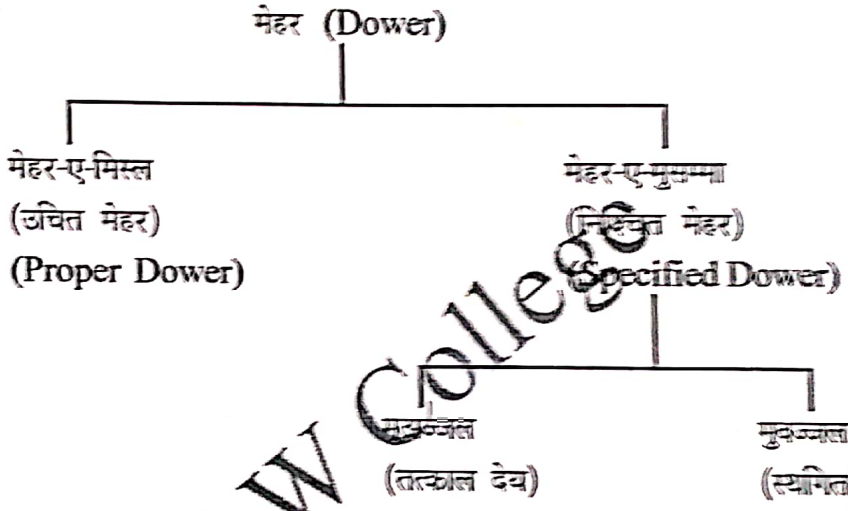

JSB LAW College

उचित मेहर (मेहर-ए-मिस्ल)- इसे प्रथागत मेहर भी कहते हैं मेहर निकाह का एक अनिवार्य तत्व है। यदि यह तय नहीं भी हुआ तो वह भी पत्नी मेहर की अधिकारिणी होगी। न्यायालय मेहर निर्धारित कर सकता है।

मैरीना जटोई बनाम मुरुद्दीन जटोई के वाद में सुन्नी पुरुष ने ईसाई महिला से विवाह किया था। मेहर का उल्लेख नहीं हुआ था। पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। पत्नी ने मेहर की माँग की। पति ने यह तर्क दिया कि मेहर निश्चित नहीं हुआ था इसलिये वह मेहर प्राप्त नहीं कर सकती है।

मेहर निकाह का एक अनिवार्य तत्व है पत्नी उचित मेहर की अधिकारिणी होगी।

हमीरा बीबी बनाम जुबैदा बीबी (1916) की आवश्यक घटना है।

उचित मेहर के निर्धारण हेतु निम्नलिखित बातें विचारणीय होंगी-

1. पत्नी व सौन्दर्य, उसके निजी गुण, योग्यता, क्षमता तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि।
2. पिता का सामाजिक स्तर।
3. पितृकुल में मेहर धनराशि के उदाहरण या पितृ कुल में प्रचलित प्रथायें।

Scanned with CamScanner

पति की सामाजिक प्रास्थिति उसकी क्षमता उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि विचारणीय नहीं है ।

निश्चित मेहर (मेहर-ए-मुसम्मा)--

सामान्यतः निकाह के पक्ष या उनके अविभावक मेहर राशि नियत कर लेते हैं । ऐसा निर्धारण विवाह के पूर्व, विवाह के समय या विवाह के बाद भी हो सकता है । निर्धारण मौखिक या सिविल हो सकता है ।

अभिभावक द्वारा नियत मेहर पक्षकारों पर आबद्धकारी होता है । संरक्षक मेहर के भुगतान के लिये दायी न होगा । पति ही उत्तरदायी होगा ।

मुसम्मात फातिमा बीबी (1937 लाहौर)

पति के असमर्थ होने पर निकाल सम्पादित कराने वाला अभिभावक मेहर के भुगतान हेतु निजी दायित्व के अधीन होगा ।

साबिर हुसैन 1938

शिया विधि--

मेहर की विषय-वस्तु

1. कोई भी मूल्यवान वस्तु, धनराशि या सम्पत्ति ।
2. चल, अचल, मूर्त या अमूर्त कोई भी सम्पत्ति ।
3. प्रलाभ
4. किसी व्यापार या जीवन बीमा पॉलिसी का लाभ ।
5. पति द्वारा पत्नी को कुरान का पाठ कराना ।
6. पति द्वारा एक निश्चित अवधि तक पत्नी की सेवा करना या उसका वचन देना ।

ऐसी सम्पत्ति जो वर्तमान में अस्तित्व में न हो मेहर की विषय-वस्तु न होगी । शराब, सूअर, या ऐसी ही कोई वर्जित सम्पत्ति मेहर की विषय-वस्तु नहीं हो सकती क्योंकि ये इस्लाप के विरुद्ध मानी जाती है ।

क्या मेहर की राशि में परिवर्तन किया जा सकता है -

मेहर राशि घटाई नहीं जा सकती है पति इसे स्वेच्छा से बढ़ा सकता है । पत्नी स्वेच्छा से पति की मेहर की भुगतान के दायित्व से क्षमा कर सकती है । ऐसी क्षमा सम्पूर्ण राशि या उसके किसी अंश के प्रति हो सकती है ।

तत्काल देय तथा स्थगित मेहर (मुअज्जल तथा मुवज्जल मेहर)--

निश्चित मेहर या तो तत्काल देय होता है या स्थगित जहाँ यह तय हुआ हो कि विवाह पूर्ण हो जाने पर पत्नी कभी भी निश्चित मेहर की माँग कर सकती है । वहाँ इसे मुअज्जल मेहर कहते हैं ।

तुरन्त देय मेहर के भुगतान के विलम्ब नहीं होना चाहिये विलम्ब होने पर पत्नी साधारण व्याज भी वसूल सकेगी । यदि सम्भोग नहीं हुआ है तथा पत्नी द्वारा मुअज्जल मेहर की माँग

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

कर दी गई है, वहाँ जब तक पति भुगतान नहीं कर देता तब तक पत्नी से उसे सम्भोग से वंचित रख सकती है ।

जहाँ यह तय हुआ है कि किसी भीषण कालिक निश्चित घटना के घटने पर मेहर देय होगा । वहाँ ऐसा मेहर स्थगित मेहर कहलाता है ।

विवाह-विच्छेद पति की मृत्य, तलाक ऐसी ही भविष्य कालिक घटनाओं के दृष्टान्त है ।

पति स्वेच्छा से स्थगित होकर मेहर नियत घटना के घटित होने के पूर्व भी भुगतान कर सकता है ।

सामान्यतः पक्षकार पहले ही यह नियत कर लेते हैं कि मेहर मुअज्जल होगा कि मुवज्जल यदि ऐसा निर्धारण न किया गया तो तब सुन्नी विधि के अन्तर्गत कुछ अंश तत्काल देय तथा शेषांश स्थगित मान लिया जाता है । शिया विधि में सम्पूर्ण राशि तत्काल देय मेहर मानी जाती है । न्यायालय शिया या सुन्नी पक्षकारों के मामले में सम्पूर्ण राशि को तत्काल मान सकता है । पाकिस्तान में विधि बनाकर सम्पूर्ण राशि तत्काल देय मान ली गई है ।

क्या पत्नी मेहर माफ कर सकती है--

विवाह पूर्ण हो जाते ही मेहर का अधिकार पत्नी में निहित हो जाता है । वह मेहर की माँग करने या न करने के लिये स्वतन्त्र होगी । पत्नी इसे माफ भी कर सकती है । माफी पूर्ण राशि या उससे किसी अंश के प्रति हो सकती है । माफी विधि सम्मत होनी चाहिये । विधि सम्मत की निम्नलिखित अपेक्षायें हैं--

1. माफी करते समय पत्नी वयस्क एवं स्वास्थचित्त होनी चाहिये । ऐसी माफी हिबा-ए-मेहर कहलाती है । इस सम्बन्ध में थोड़ी अनिश्चितता है कि माफी के सम्बन्ध में वयस्कता की आयु 15 वर्ष या 10 वर्ष होगी ।
2. माफी स्वतन्त्र सहमति के अधीन होनी चाहिये ।
3. माफी सिविल होनी चाहिये ।

मुस्लिम विधि में मेहर की संकल्पना--

मेहर निकाह का अनिवार्य पक्ष है विवाह पूर्ण होते ही मेहर प्राप्त करने का अधिकार पत्नी में निहित हो जाता है । एक बार इस अधिकार के पत्नी में निहित हो जाने के पश्चात् पत्नी कभी भी इससे वंचित नहीं की जा सकती । यहाँ तक कि निम्नलिखित में से किसी आधार पर भी उसे इस अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है--

1. पत्नी ने पति की हत्या कर दी है
2. पत्नी ने आत्महत्या कर ली है ।
3. पत्नी ने इस्लाम त्यागकर कोई अन्य धर्म ग्रहण कर लिया है ।
4. पत्नी दुश्चरित्र है या जारता की दोषी है ।

मुस्लिम विवाह विघटन अधि0 1939 की धारा-5 के अनुसार, अधि0 के अन्तर्गत विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्राप्त कर लेने पर भी मुस्लिम महिला मेहर की अधिकारिणी बनी रहेगी ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

अदत्त मेहर एक अप्रत्याभूत ऋण माना जाता हा । मेहर का भुगतान करना पति का निजी दायित्व है । अदत्त मेहर पति पर एक ऋण समझा जाता है । पति ऋणी तथा पत्नी ऋणदाता समझी जाती है । अत; पत्नी असदत्त मेहर की वसूली के लिये अपने पति के लिये वाद संस्थित कर सकती है ।

कपूर चन्द्र बनाम कदरुन्निसा 1950 के वाद में पत्नी अदत्त मेहर को वसूल करने के मामले में अन्य ऋणदाताओं की अपेक्षा कोई वरीयता नहीं रखती ।

असंदत्त मेहर एक साधारण अप्रत्याभूत ऋण के समान है ।

मेहर का अधिकार प्रवर्तनीय है । प्रवर्तन के निम्नलिखित तरीके हैं–

1. दाम्पत्य अधिकारों से इन्कार
2. ऋण की भाँति मेहर का प्रवर्तन
3. विधवा के प्रति धारण का अधिकार

1. दाम्पत्य अधिकारों से इन्कार– यदि मेहर तलाक देय हो तथा पक्षकारों के मध्य लैंगिक सम्बन्ध न हुये हों तो पत्नी तब तक सम्भोग से इन्कार कर सकती है, जब तक कि पति मेहर का भुगतान नहीं कर देता ।

यदि मेहर तलाक देय न हो या यदि तलाक देय हो तथा पक्षकारों के मध्य सम्भोग हो चुका हो तो मुस्लिम पत्नी इस ढंग से मेहर के अधिकार का प्रवर्तन नहीं कर सकती है ।

2. ऋण की भाँति मेहर का प्रवर्तन– असंदत्त मेहर एक अप्रत्याभूत ऋण है पति ऋणी माना जाता है तथा पत्नी ऋणदाता असंदन्त मेहर एक अनुयोज्य दावा है । वाद प्रस्तुत करके इसे ब्याज सहित वसूला जा सकता है ।

यदि पति की मृत्यु होगी तथा मेहर असंदन्त रहा हो तो उसे मृत पति की सम्पत्ति से वसूल किया जा सकता है । उत्तराधिकारियों द्वारा सम्पत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकता है, किन्तु यह सम्पत्ति सीमित मानी जाती है प्रत्येक उत्तराधिकारी अपने उत्तराधिकार अंश के अनुपात में तथा उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति के शून्य की सीमा के भीतर भुगतान करने हेतु आवद्ध होगा ।

3. विधवा का प्रतिधारण का अधिकार– जहाँ पत्नी पति के जीवन काल में पति की स्वतन्त्र सहमति से अपने अंसदत्त मेहर के एवज में पति की किसी सम्पत्ति पर काविज हो जाती है वहाँ पति की मृत्यु हो जाने पर वह इस सम्पत्ति पर तब तक कब्जा बनाये रख सकेगी, जब तक कि अंसदत्त मेहर का भुगतान नहीं हो जाता । विधवा का यह अधिकार प्रतिधारण का अधिकार कहलाता है ।

प्रतिधारण का अधिकार पति के उत्तराधिकारी तथा ऋणदाताओं के हितों के लिये प्रतिकूल होता है । उत्तराधिकारीगण अनुपातिक भुगतान किये विना अपने उत्तराधिकार अंश पर कब्जा नहीं पा सकते ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

प्रतिधारण का अधिकार उत्तराधिकारियों के विरुद्ध प्रयुक्त होता है तथापि यदि उत्तराधिकारी ही विधवा को सम्पत्ति पर कब्जा प्रदान कर देते हैं तो वह उस सम्पत्ति पर धारणाधिकार का प्रयोग कर सकेगी ।

विभिन्न उच्च न्यायालयों के मध्य इस बात पर मतान्तर है कि पति की सहमति के साथ-साथ उत्तराधिकारियों की सहमति भी आवश्यक है ।

बम्बई तथा मद्रास उच्च न्यायालय ने उत्तराधिकारियों की सहमति को आवश्यक नहीं माना है । प्रतिधारण का अधिकार केवल कब्जे का अधिकार है विधवा, सम्पत्ति में कोई अन्य अधिकार प्राप्त नहीं करती । प्रतिधारण का अधिकार न तो वन्धक है न ही धारणाधिकार ।

धारणाधिकार के प्रयोग के दौरान, सम्पत्ति से प्राप्त प्रलाभ पत्नी को ही मिलते हैं । धीरे-धीरे मेहर का भुगतान हो जाने पर धारणाधिकार का अंत हो जाता है ।

मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमत (1925) में धारणाधिकार केवल कब्जे का अधिकार है । विधवा सम्पत्ति में कोई अन्य हित प्राप्त नहीं करती । वह सम्पत्ति में कोई स्वत्व नहीं रखती है । भुगतान होने तक वह कब्जा बनाये रख सकती है । भुगतान न होने पर भी उसे स्वामित्व प्राप्त नहीं होता । चूँकि इसे स्वत्व प्राप्त नहीं होता । अतः वह अन्तरण नहीं कर सकती तदनुसार विधवा द्वारा किया गया दान शून्य घोषित किया गया ऐसे मामलों में यदि अन्तिरती प्राप्त कर लेता है तो भी वह बेदखल किया जा सकेगा । विधवा भी अब कब्जे की अधिकारिणी नहीं रह जायेगी ।

एक बार कब्जा गंवा देने पर कब्जे का अधिकार जब्त हो जाता है ।

कूपरचन्द्रा कदरुनिसा (1950) के प्रकरण में यह अपेक्षित किया गया है कि विधवा कब्जा बनाये रखने के अधिकार को हस्तान्तरित नहीं कर सकती । इलाहाबाद तथा मैसूर उच्च न्यायालयों के अनुसार यह अधिकार अन्तरण योग्य है । पटना उच्च न्यायालय के अनुसार, यह अधिकार अन्तरण योग्य नहीं है ।

JSB LAW College

तलाक

सामान्य--

1. पैगम्बर मोहम्मद के अनुसार विधि द्वारा स्वीकृत चीजों में विवाह विच्छेद सबसे निकृष्ट चीज है ।

2. मुस्लिम विधि में विवाह-विच्छेद सम्बन्ध नियम मानसिक पर आधारित है ।

3. पत्नी खुला या मुबारत द्वारा विवाह संविदा भंग कर सकती है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधि० 1939 के अन्तर्गत भी वह विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्राप्त कर सकता है ।

4. विवाह विच्छेद, तलाक इला० तथा जिहार के रूप में हो सकता है । यह पत्नि के लिये उपलब्ध साधन है ।

Scanned with CamScanner

विवाह विच्छेद के प्रकार--

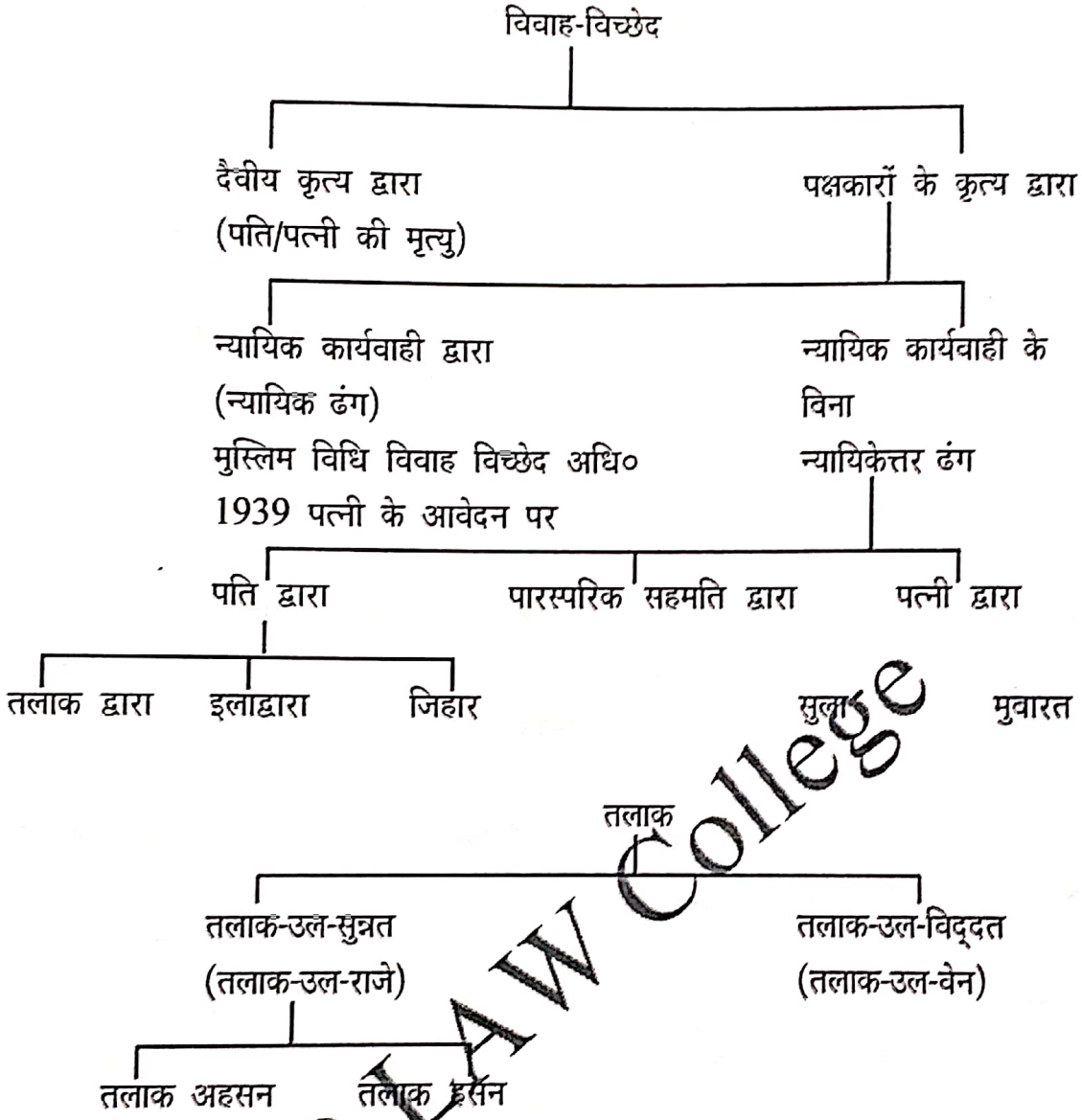

JSB LAW College

तलाक अरबी भाषा का शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है निर्मुक्त करना । तलाक वैवाहिक संविदा का निराकरण है ।

मुस्लिम पति तलाक देने का अप्रतिबन्धित है, अधिकार रखता है मानसिक विसंगति के आधार पर वैवाहिक सम्बन्ध खत्म किये जा सकते हैं ।

इस्लाम पति को तलाक देने की शक्ति के अकारण प्रयोग की अनुमति नहीं देता । पत्नी के दुश्चरित्त या निष्ठाहीन या क्रूर हो जाने पर ही पति को तलाक देना चाहिये । दुर्भाग्यवश मुस्लिम पति इस अधिकार का दुरुपयोग करता है । न्यायालय भी यह मानते हैं कि तलाक देना उसका विधिक अधिकार है ।

वैध तलाक की अपेक्षायें--

1. पति का स्वस्थ्य चित्त तथा वयस्क होना
2. स्वतन्त्र सहमति

Scanned with CamScanner

3. औपचारिकतायें

4. तलाक के शब्द स्पष्ट होने चाहिये ।

1. सक्षमता (वयस्कता एवं स्वस्थ चित्त)--

केवल स्वस्थ्य चित्त वयस्क पति तलाक देने हेतु सक्षम है । सामान्यतः 15 वर्ष से कम आयु का पति तलाक नहीं दे सकता है । अवयस्क पति की ओर से संरक्षक तलाक नहीं दे सकता है । पागल पति की ओर से उसके हित के लिये उसकी ओर से तलाक दे सकता है । अभिभावक न होने पर काजी या न्यायालय पागल पति की ओर से विवाह भंग कर सकता है ।

ऐसी पत्नी को तलाक के विधिक परिणामों से अनभिज्ञ हो (अल्पायु के कारण) क तलाक नहीं दिया जा सकता । (अमीर अली का विचार)

स्वतन्त्र सहमति-

हनकी विधि के सिवाय मुस्लिम विधि की अन्ध विचार धारायें तलाक के स्वैच्छिक होने की अपेक्षा करता है । स्वतन्त्र सहमति के अभाव में तलाक शून्य माना जाता है । हनफी विधि विल्कुल अलग है । बल प्रयोग असम्यक प्रभाव, धोखा, प्रपीड़न, मजाक में या नशे में दिये गये तलाक वैध है ।

Taiyyab ji के अनुसार अस्वैच्छिक नशे या दवा के रूप में लिये गये नशे के रूप में दिया गया तलाक हनफी विधि में भी अवैध है ।

औपचारिकतायें- सुन्नी विधि में तलाक मौखिक लिखित या सांकेतिक हो सकता है । तलाक का आशय स्पष्ट होना चाहिये । साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है । किसी भाषा में तलाक दिया जा सकता है । कोई शब्द की विहित नहीं है ।

शिया विधि में तलाक का मौखिक होना अनिवार्य है लिकित तलाक शुन्य है । यदि पति बोलने में असमर्थ है तो वह लिखकर तलाक दे सकता है ।

अरबी भाषा में विशिष्ट शब्दों का प्रयोग आवश्यक है, दो सक्षम साक्षी होने चाहिये । साक्षियों के अभाव में तलाक शून्य होगा ।

तलाक सुस्पष्ट शब्दों में दिया जाना चाहिये । तलाक देने का आशय बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिये ।

मोहम्मद इरफान मोस्मात मोहन्दो (1952) पेशावर के वाद में दो भाई शहद की एक बोतल को लेकर झगड़ रहे थे । एक भाई ने दूसरे से कहा "यदि में शहद की बोतल न ले पाया तो मेरी पत्नियों का तलाक समझा जाये ।"

उक्त वाद यह धारित किया गया कि उसका आशय तलाक देना नहीं था बोतल प्राप्त करना उसका मुख्य आशय था । अतः तलाक प्रभावी नहीं हुआ ।

तलाक देते समय पत्नी की उपस्थित आवश्यक नहीं । पत्नी का नाम लेकर उसे सम्बोधित करना आवश्यक है । पत्नी को तलाक की सूचना देना आवश्यक नहीं है । तलाक उस दिन से प्रभावी होगा जिस दिन वह उच्चारित किया गया हो ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

इद्दत काल में भरणपोषण की माँग तलाक सूचना की तिथि से प्रभावी होगा ।

तलाक सशर्त या अशर्त हो सकता है । यह किसी घटना पर भी आधारित हो सकता है । शर्त इस्लाम के विरुद्ध नहीं होनी चाहिये ।

शिया विधि सशर्त या आकस्मिक तलाक को मान्यता नहीं देती अतः तलाक अशर्त होना चाहिये अन्यथा यह शून्य होगा ।

तलाक के प्रकार--

1. तलाक उल-सुन्नत या तलाक उल-राजे

(i) तलाक अहसन

(ii) तलाक हसन

2. तलाक उल विद्दयत या तलाक इन-वेन

यह मुहम्मद पेगम्बर साहब पर आधारित है । अतः यह अनुमोदित तलाक है । इसमें प्रति संहरण की सम्भावना बनी रहती है । यह शिया तथा सुन्नी दोनों विधियों में मान्य है ।

तलाक अहसन सर्वश्रेष्ठ प्रकार का तलाक है । इसमें तलाक शब्द केवल एक बार उच्चारित करना होता है । दोनों पक्षों के मध्य समझौते का अवसर बना रहता है । तलाक हसन में तलाक शब्द की तीन बार उच्चारित करना होता है । यह भी प्रति संहरण योग्य है ।

तलाक अहसन के लिये पति, पत्नी के तुहर काल (शुद्ध काल) में केवल एक बार तलाक उच्चारित करना होगा । तुहर काल वह है जबकि पत्नी मासिक धर्म में न हो । यदि पत्नी को मासिक धर्म न हो रहा हो तो कभी भी तलाक शब्द उच्चारित किया जा सकता है । घोषणा के बाद पत्नी को इद्दत का पालन करना होगा । यह अवधि तीन मासिक धर्म या तीन चन्द्रमास होगी । यदि इद्दत काल में प्रत्यक्ष या परोक्ष समझौता हो जाता है तो तलाक प्रति संक्षरित मान लिया जाता है । समझौता न हो पाने पर तलाक अप्रतिसंहरणीय हो जाता है ।

उत्तराधिकार (विरासत)

उत्तराधिकार दो प्रकार का होता है-- वसीयत तथा निर्वसीयती ।

1. निर्वसीयती उत्तराधिकार को विरासत भी कहते हैं ।
2. मृतक की सम्पदा में से उसके अन्तिम संस्कार तथा ऋणों के भुगतान तथा वसीयतदारों का भुगतान कर देने के पश्चात् मृतक की अवशिष्ट सम्पदा दाय योग्य सम्पत्ति कहलाती है ।
3. उत्तराधिकार विषयक मुस्लिम विधि की अति मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं--

(क) मुस्लिम विधि उत्तराधिकारियों के अंश नियत करती है ।

(ख) यह उत्तराधिकारी तथा मृतक के मध्य दूरी का विरोध ध्यान रखती है । उत्तराधिकारी तथा मृतक के मध्य दूरी के आधार पर उत्तराधिकार अंश नियत किया गया है ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

4. मुस्लिम विधि के उत्तराधिकार नियम कुछ जटिल आवश्यक है लेकिन ये काफी न्यायोचित तथा तर्कसंगत है ।
5. उत्तराधिकार विषयक नियम इस्लाम पूर्व की प्रथाओं तथा कुरान पर आधारित है ।
6. इस्लाम तथा कुरान द्वारा पूर्व प्रथागत नियमों में मुख्यतः निम्न संशोधन किये गये है ।
   (क) महिलाओं तथा मातृ बन्धु समान उत्तराधिकारी माने गये है ।
   (ख) पति तथा पत्नी के मध्य पारस्परिक उत्तराधिकार सम्भव है ।
   (ग) पूर्वजों तथा वंशजों को समान अधिकार प्राप्त है ।
   (घ) सामान्यतः महिला उत्तराधिकारी पुरुष उत्तराधिकारी के अंश का आधा प्राप्त करती है ।

उत्तराधिकार के सामान्य सिद्धान्त

1. चल, अचल, मूर्त, अमूर्त सभी सम्पत्ति दाय योग्य है शिया विधि में सन्तान विहीन विधवा पति की केवल चल सम्पत्ति में एक चौथाई अंश प्राप्त करती है ।
2. मुस्लिम विधि पृतक सम्पत्ति तथा संयुक्त सम्पत्ति को समाप्त नहीं होती अतः मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पत्ति तथा स्व अर्जित सम्पत्ति के सम्बन्ध में उत्तराधिकार सम्बन्धी भिन्न नियम नहीं है ।
3. मुस्लिम विधि जन्म सिद्ध के उत्तराधिकार के सिद्धान्त को मान्यता नहीं देती । जन्मसिद्ध अधिकार का सिद्धान्त हिन्दू विधि का सिद्धान्त है ।
4. रोमन, आंग्ल तथा हिन्दू विधियों में प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त उत्तराधिकार का प्रमुख सिद्धान्त है । मुस्लिम विधि में यह सिद्धान्त मान्य नहीं है । मुस्लिम विधि के अन्तर्गत निकटवर्ती सम्बन्धी मृतक के पूर्ववर्ती सम्बन्धियों के अधिकार को समाप्त करता है ।
5. सभी विधि में एक ही वर्ग के उत्तराधिकारियों के मध्य सम्पदा का विभाजन प्रति व्यक्ति के नियम के आधार पर किया जाता है । शिया विधि प्रतिशाखा का नियम लागू है ।
6. मुस्लिम विधि में पुरुष तथा महिला दोनों ही मृतक की सम्पत्ति में साथ-साथ उत्तराधिकार प्राप्त करती हैं । किन्तु सामान्यतया महिला उत्तराधिकारी का अंश उसके समकक्ष पुरुष उत्तराधिकारी के अंश का आधा होता है ।
7. गर्भस्थ शिशु सक्षम उत्तराधिकार है । अतः जीवित जन्म लेने पर वह अपना उत्तराधिकार अंश प्राप्त करेगा । उसका हित समाश्रित होता है । अतः वह यदि जीवित जन्म नहीं लेता तो उसमें निहित अंश समाप्त मान लिया जाता है ।
8. सौतेली सन्तानों उत्तराधिकारी नहीं है . इसी प्रकार सौतेली माता-पिता भी उत्तराधिकारी नहीं है ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

9. ज्येष्ठाधिकार का सिद्धान्त केवल शिया विधि में मानय् है । इसके अन्तर्गत ज्येष्ठ पुत्र मृतक की सम्पदा में अतिथ्य अंश प्राप्त करता है ।
10. दो उत्तराधिकारियों की साथ-साथ मृत्यु होने पर वे परस्पर उत्तराधिकार नहीं रखते । आग्ल तथा हिन्दू विधियों में दो पर्सपर उत्तराधिकारियों की मृत्यु एक साथ होने पर यह मान लिया जाता है कि दोनों में से जो आयु में वड़ा था पहले दिवंगत हुआ था ।
11. ऐसा व्यक्ति जो 7 वर्ष तक निरन्तर लापता रहता है कि सिविल मृत्यु प्रकल्पित कर ली जाती है अतः उसकी सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त हो जाती है ।
सुन्नी विधि में 90 वर्ष (जन्म से) पश्चात् ही मृत्यु प्रकल्पित की जाती थी ।
12. जहाँ कोई मुस्लिम अपने पीछे कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ जाता वहाँ अन्तिम उत्तराधझिकारी के रूप में सम्पत्ति राज्य को प्राप्त हो जाती है ।
13. ऐसा मुस्लिम जिसका विवाह विशेष विधि अधि0- 1954 के अन्तर्गत हुआ हो उसकी सम्पत्ति का उत्तराधिकार मुस्लिम व्यक्ति विधि से न होकर भारतीय उत्तराधिकार अधि0 1925 के अन्तर्गत होगा ।

उत्तराधिकार के अपवर्जन के नियम

1. पागलपन, चरित्रहीनता या शारीरिक दोष उत्तराधिकार हेतु निर्योग्यिता नहीं है ।
2. हनफी विधि के अन्तर्गत हत्यारा, मृतक की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी न रहेगा । यह बात महत्वॉहीन होती है कि मृत्यु आशय कारित की गयी है, या कि मूल या असावधानी में शिया विधि में केवल की व्यक्ति उत्तराधिकार से वंचित होगा चो साशय मृत्यु कारित करता है ।
3. अवैध सन्तान (अधर्मजसन्तान) अपने सम्भावित पिता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार नहीं कर सकता । माता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार कर सकेगा । माता के माध्यम से अन्य सम्बन्धियों की सम्पत्ति में भी उत्तराधिकार कर सकेगा । (सुन्नी विधि)
4. धर्म परिवर्तन उत्तराधिकार से वंचित करने का आधार न होगा ।
5. कहीं-कहीं स्थानीय प्रथाओं या स्थानीय अधिनियमों के अन्तर्गत पुत्रियाँ उत्तराधिकार से वंचित हैं । कश्मीर के गूजरों तथा बक्कर में यह स्थानीय प्रथा है कि पुरुष वंशज की उपस्थिति में उपस्थिति में पुक्षी पितामह की सम्पदा में उत्तराधिकार न कर सकेगी ।

उत्तराधिकारियों का वर्गीकरण

9. कुरानी उत्तराधिकारी (अंशधारी) के उत्तराधिकारी अंश स्वयं द्वारा नियत है । इन उत्तराधिकारियों को किसी भी स्थिति में न तो इन्हें उत्तराधिकारियों की श्रेणी में से हटाया जा सकता है, न ही इनके अंशों में कोई परिवर्तन किया जा सकता है ।

ISP LAW College

Scanned with CamScanner

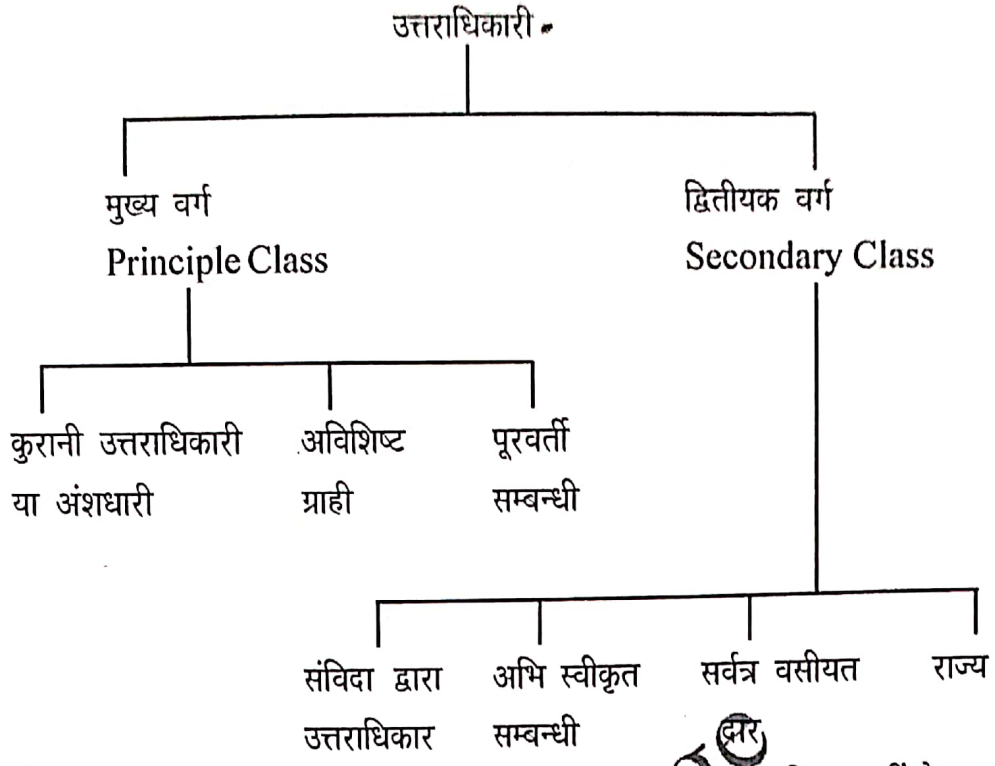

2. अवशिष्ट ग्राही पितृ बन्धु उत्तराधिकारी भी कहलाते हैं । इनके अंश नियत नहीं है। इनके अंश घटते-बढ़ते रहते हैं । कुरानी उत्तराधिकारी के अंश बाँट देने पर अविशिष्ट सम्पदा इन्हें उत्तराधिकार में प्राप्त होती है ।
3. दूरस्थ रक्त सम्बन्धी तृतीय वरीयता का उत्तराधिकारी है । इन्हें सहोदर उत्तराधिकारी भी कहा जाता है । ये प्रायः उत्तराधिकार से वंचित ही रहते हैं ।
4. मुख्य वर्ग के उत्तराधिकारियों के न होने पर द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं ।

सम्पत्ति के वितरण की योजना

मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार के सम्बन्ध में सम्पत्ति के वितरण की योजना के मुख्य पत्र निम्नलिखित हैं--

1. सर्वप्रथम दाय योग्य सम्पत्ति का निर्धारण अपेक्षित है इसके बाद भी अंशों का वितरण किया जा सकता है ।
2. सर्वप्रथम प्रथमवर्ग के उत्तराधिकारियों को उनके नियत अंश दिये जायेंगे ।
3. यदि कुरानी उत्तराधिकारियों को उनके अंशों के वितरण के पश्चात् कोई सम्पत्ति शेष रह जाती है तो वह अवशिष्ट गृहियों को दी जायेगी ।
4. यदि अवशिष्ट ग्राही न हो तो अवशिष्ट दूरस्थ रक्त सम्बन्धियों में वितरित की जायेगी।
5. यदि उपरोक्त में से कोई उत्तराधिकारी न हो तो द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे ।
6. उत्तराधिकार अंश नियत करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान निम्नलिखित है-

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

(i) यह ध्यान रखना होगा कि कभी-कभी एक ही वर्ग का उत्तराधिकारी एक उसी वर्ग के अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा पूर्णतः अपवर्जित हो जाता है ।

(ii) कभी-कभी एक ही वर्ग का उत्तराधिकारी किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में वर्ग परिवर्तन करके किसी भिन्न वर्ग का उत्तराधिकारी हो जाये ।

(iii) ऐसा भी हो सकता है कि कोई उत्तराधिकारी अपने निर्धारित अंश के अतिरिक्त अंश का अधिकारी हो जाये ।

(iv) कभी-कभी उत्तराधिकारियों के अंश देते समय सम्पत्ति कम पड़ जाती है या सम्पत्ति का कुछ अंश कम रहता है, ऐसी स्थिति में औल का सिद्धान्त या रद्द का सिद्धान्त लागू होगा ।

(v) कभी-कभी किसी उत्तराधिकारी की उपस्थिति में उसी वर्ग के उत्तराधिकारी का नियत अंश घट जाता है ।

प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारियों
(अंशधारियों या कुरानी उत्तराधिकारियों के मध्य अंश का वितरण)

पति का अंश-

1. 1/2 (संतान या पुत्र की संतान की अनुपस्थिति में), या
2. 1/4 (संतान या पुत्र की संतान की उपस्थिति में) ।
3. पति, किसी भी परिस्थिति में आधे से अधिक अंश का अधिकारी नहीं हो सकता है ।

पत्नी (विधवा) का अंश

1. 1/4 (संतान या पुत्र की संतान की अनुपस्थिति में), या
2. 1/8 (संतान या पुत्र की संतान की उपस्थिति में) ।
3. सभी विधवाएँ (यदि एक से अधिक हों) निर्धारित 1/4 या 1/8 अंश परस्पर बाँटेगी ।

पिता का अंश-

1. 1/6 (संतान या पुत्र की संतान की उपस्थिति में, या
2. अवशिष्टग्राही (सन्तान या पुत्र की सन्तान की अनुपस्थिति में) ।

वास्तविक पितामह-

1. पिता की अनुपस्थिति में, पिता का पिता उत्तराधिकारी हो सकता है ।
2. पिता की उपस्थिति में पितामह उत्तराधिकार से वंचित होगा ।
3. पितामह का अंश 1/6 (सन्तान या पुत्र की सन्तान की उपस्थिति में)
4. सन्तान या पुत्र की सन्तान की उपस्थिति में पितामह अवशिष्ट ग्राही हो जायेगा ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

माता का अंश

1. 1/6 (उपरोक्त में से किसी की उपस्थिति में)
2. कुल सम्पत्ति- पति का अंश)-- यह नियम वहाँ लागू होता है जहाँ मृतक के एक मात्र उत्तराधिकारी माता, पिता या पत्नी ।
3. 1/3 (सन्तान पुत्र की सगे भाई तथा एक भाई व एक बहन की अनुपस्थिति में), या

वास्तविक पितामही

1. 1/6
2. माही पितामही माता, निकटतम मात्रिक या पैत्रिक पितामही की अनुपस्थिति में ही उत्तराधिकार करेगी ।
3. पितामही माता, पिता या निकटतम मात्रिक तथा पैत्रिक पितामही द्वारा अपवर्जन योग्य होगी ।

पुत्री का अंश --

1. एक पुत्री 1/2
2. एक सें अधिक पुत्रियाँ 2/3
3. पुत्र के साथ होने पर पुत्री अवशिष्टग्राही हो जायेगी ।

द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी (अवशिष्ट ग्राही) के अंश--

मृतक सुन्नी के द्वितीय वर्ग का उत्तराधिकारी प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारिओं को सम्पदा के विभाजन के पश्चात् अवशिष्ट सम्पदा प्राप्त करने का अधिकारी है ।

यदि प्रथम वर्ग का उत्तराधिकारी न हो तो समस्त सम्पत्ति अवशिष्ट माही को प्राप्त होती है ।

कुछ परिस्थितियों में कुरानिक उत्तराधिकारी ही अवशिष्ट ग्राही हो जाता है । उदाहरणार्थ- भाई के साथ बहिन या पुत्र के साथ पुत्री कुरानिक उत्तराधिकारी नहीं रह जाते, ये अवशिष्ट ग्राही हो जाते हैं । इसी प्रकार सन्तानों की उपस्थिति में कुरानिक उत्तराधिकारी पिता, सन्तानों की उपस्थिति में अवशिष्टग्राही हो जाता है ।

अवशष्ट ग्राही, मृतक के वंशज, पूर्वज या समपार्श्विक हो सकते हैं । अवशिष्ट ग्राहिओं का कोई अंश पूर्व नियत नहीं है ।

वंशज -- मृतक के वंशज उसके अवशिष्टग्राही उत्तराधिकारी हो सकते हैं । वंशजों में निम्नलिखित दो मुख्य हैं--

1. पुत्र,

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

2. पुत्र का पुत्र (चाहे कितनी निचली पीढ़ी का हो) ।

यदि मृतक के कोई अवशिष्टग्राही उत्तराधिकारी न हो अवशिष्ट समादा प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारियों को वापस चली जाती है ।

पूर्वज–

मृतक का पूर्वज भी कुछ परिस्थितियों में अवशिष्ट ग्राही हो सकता है । पूर्वज के रूप में निम्नलिखित का विशेष सन्दर्भ अपेक्षित है ।

1. पिता,
2. वास्तविक पितामह (चाहे कितनी ही उच्च पीढ़ी का को)

समपार्श्विक–

समपार्श्विक पिता के वंशहज होते हैं । समपार्श्विक में निम्नलिखित विशेष सन्दर्भ योग्य हैं–

1. सगा भाई,
2. सगी बहन
3. सरक्त भाई,
4. सरक्त बहन

वास्तविक पितामह के वंशज भी वास्तविक पितामह के माध्यम से समपार्श्विक माने जा सकते हैं । वास्तविक पितामह के वंशज के रूप में निम्नलिखित समपार्श्विक महत्वपूर्ण हैं--

1. सगा चाचा
2. समस्त चाचा
3. सगे चाचा का पुत्र
4. समस्त चाचा का पुत्र
5. सगे चाचा के पुत्र का पुत्र
6. समस्त चाचे के पुत्र का पुत्र

नियम–

1. जहाँ मृतक का कोई कुरानिक उत्तराधिकारी न हो, वहाँ उसकी समस्त सम्पदा अवशिष्ट ग्राहियों को प्राप्त होगी । यह देखना होगा कि अवशिष्टग्राही पुरुष है या महिलायें या दोनों ।

2. यदि सभी अवशिष्टग्राही पुरुष हों तो सम्पत्ति उनमें बराबर-बराबर पाँट दी जायेगी ।

3. यदि वे सभी महिलायें हो तो सम्पत्ति उनके मध्य बराबर बाँट दी जायेगी ।

4. यदि उनमें से कुछ महिलायें और कुछ पुरुष हों तो उनके मध्य विभाजन 1:2 के अनुपात में किया जायेगा ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

उत्तराधिकार विषयक शिया तथा सुन्नी विधि में भेद--

सुन्नी विधि	शिया विधि
1. सन्तान विहीन विधवा अपने मृत पति की चल अथवा अचल दोनों ही सम्पत्तियों में उत्तराधिकार रखती है ।	1. सन्तान विहीन विधवा अपने मृत पति की स्थावर सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त नहीं करती है ।
2. अवैध सन्तान माता की सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करती है ।	2. अवैध सन्तान माता या पिता किसी की सम्पत्ति उत्तराधिकार प्राप्त नहीं करती है ।
3. हत्या (मृत्यु कारित करने वाला व्यक्ति) मृतक की समाप्ति में उत्तराधिकार से सदैव वंचित होगा ।	3. भूलवश या दुर्घटनावश मृत्युकारित करने वाला उत्तराधिकारी उत्तराधिकार योग्य होगा ।
4. उत्तराधिकारियों के तीन वर्ग मान्य हैं (अंश धारी अवशिष्टग्राही तथा दूरस्थ रक्त सम्बन्धी)	4. मुख्य उत्तराधिकारियों के केवल दो ही वर्ग मान्य हैं (अंशधारी तथा अवशिष्ट ग्राही)
5. औल के सिद्धान्त के अन्तर्गत सभी उत्तराधिकारियों के अंशों से अनुपातिक कटौती की जाती है ।	5. अतिरिक्त अंश की कटौती पुत्री या वहन के अंश से की जाती है ।
6. रक्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत केवल पति तथा पत्नी वापसी में शामिल नहीं होते हैं ।	6. पति पत्नी के अतिरिक्त कुछ परिस्थितियों में माता तथा सहोदर भाई, वहन वापसी में भाग नहीं ले सकते हैं ।
7. ज्येष्ठाधिकार मान्य नहीं है ।	7. सीमीत रूप से मान्य है मृत पिता की अंगूठी, तलवार, वस्त्र तथा कुरान की प्रति एक मात्र उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र ही होगा।
8. प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त मान्य नहीं है।	8. प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त मान्य है ।
9. मृतक के पिता तथा एक पुत्री छोड़ जाने पर अवशिष्ट सम्पदा पिता की प्राप्त होती है ।	9. ऐसी दशा में अपशिष्ट सम्पदा सभी अंशधारियों के अंश में शामिल हो जाती है ।
10. अपवर्जन का नियम केवल पितृ वन्दु उत्तराधिकारियों पर लागू होता है ।	10. सभी उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में लागू होता है ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

हिबा (दान) Gift

सामान्य-

1. दान सम्पत्ति के स्वामित्व का अप्रतिफल अन्तरण है । दान दो जीवित व्यक्तियों के मध्य सम्पत्ति का अन्तरण है ।
2. सम्पत्ति अन्तरण अधि0 में दान विषयक प्रवधान दिये गये हैं । ये उपलवन्ध मुस्लिम विधि के अन्तर्गत किये गये दान (हिवा) को प्रशासित नहीं करती है ।
   सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम वीवी मनीरन वनाम मौ0 इस्हाक (1963) पटना
   हिवा पर T.P.A. का लागू न होना संवैधानिक है । हिवा तथा दान युक्ति युक्त वर्गीकरण है । एक निजी विधि के क्षेत्र में तथा दूसरा सामान्य विधि के क्षेत्र में है ।
3. मुस्लिम विधि के हिवा विल एवज एक सप्रतिफल दान है । हिवा-वाशर्त-उल-एवज एक अन्य प्रकार का दान है । दान हिवा का एक अन्य प्रकार है । यह एक सशर्त हिवा है ।
4. हिवा का धार्मिक महत्व भी है । पैगम्वर मौहम्मद के अनुसार- "परस्पर प्रेम तथा सद्भावना की वृद्धि हेतु तुम एक दूसरे की भेंटों का आदान प्रदान करते रहो ।"

परिभाषा-

हिवा तुरन्त प्रभावी होने वाला ऐसा उत्तरण है, जो विना किसी विनिमय के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के पक्ष में किया जाये तथा जो उस दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिग्रहीत कर लिया जाये ।– मुल्ला

उपरोक्त परिभाषा से हिवा के निम्नलिखित आवश्यक तत्व स्पष्ट होते हैं--

1. हिवा दो जीवित व्यक्तियों के मध्य सम्पत्ति का अन्तरण है । इसमें स्वामित्व का अन्तरण होता है ।
2. हिवा केवल वर्तमान सम्पत्ति का ही हो सकता है । भविष्य में प्राप्त होने वाली सम्पत्ति का हिवा शून्य होगा ।

विधिमान्य हिवा की आवश्यक शर्तें--

1. दान की घोषणा
2. दान की स्वीकृति
3. दान की सम्पत्ति के कब्जे का परिदान

उपरोक्त में से किसी शर्त का रह जाना दान को शून्य बना देता है ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

दान की घोषणा--

हिबा के आशय को सुस्पष्ट घोषणा हिबा का प्रथम अनिवार्य तत्व है । दान की घोषणा मौखिक या लिखित हो सकती है । पंजीकरण आवश्यक नहीं है । चल या अचल दोनों ही सम्पत्तियाँ दान योग्य हैं ।

दान की घोषणा स्वैच्छिक तथा स्वतन्त्र होनी चाहिये । दान की घोषणा सद्भावना पूर्ण होनी चाहिये । अतः ऋणदाताओं को धोखा देने के आशय से किया गया दान शून्य करणीय होगा ।

दानदाता सक्षम होना चाहिये । निम्नलिखित तीन अपेक्षायें निम्नवत हैं--

1. दानकर्ता मुस्लिम होना चाहिये ।
2. उसे स्वस्थचित्त होना चाहिये ।
3. उसे व्यस्क होना चाहिये ।

हिबा में दानदाता का मुस्लिम होना आवश्यक है । दानसंहिता का मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है । दानकर्ता स्वस्थचित्त होना चाहिये चित्तविकृत व्यक्ति द्वारा किया गया दान शून्य होगा ।

स्वस्थ अन्तराल में किया हुआ दान वैध हो सकता है । दानकर्ता को न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिये । जहाँ अवयस्क कोर्ट ऑफ वार्ड्स के संरक्षण में है वहाँ वयस्कता की आयु 21 वर्ष होगी ।

वैध दान के लिये यह भी आवश्यक हैकि दानकर्ता दान की विषयवस्तु का स्वामी हो। कोई मुस्लिम अपनी समस्त सम्पत्ति दान कर सकता है ।

दान का प्रतिग्रहण (स्वीकृति)--

हिबा सहित किसी भी दान का दानगृहीता द्वारा प्रतिग्रहण आवश्यक है । दानग्रहीता दान के समय अस्तित्व में होना चाहिये । इसके अतिरिक्त अन्य कोई अपेक्षा नहीं है । अतः दानसंहिता अमुस्लिम अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति भी हो सकता है ।

गर्भस्थ शिशु दानगृहीता हो सकता है । गर्भस्थ शिशु के पक्ष में केवल समाश्रित हित सृजित होता है । यदि गर्भस्थ शिशु की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है । तो उसके पक्ष में किया गया दान शून्य हो जाता है ।

विधिक व्यक्ति भी दानग्रहीता हो सकता है । अतः किसी संस्था, प्रतिष्ठान, औषधालय, मस्जिद तथा वक्फ के पक्ष में दान सम्भव है ।

आवश्यक तथा चित्त विकृत व्यक्ति दानग्रहीता हो सकते हैं । चूँकि ये स्वीकृति नहीं दे सकते अतः इनको संरक्षक की सहमति आवश्यक होगी । इस प्रयोजन हेतु संरक्षकों का वरीयता

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

क्रम निम्नवत है-

1. पिता
2. पिता का निष्पादक
3. पितामह
4. पितामह का निष्पादक

संयुक्त दान भी किया जा सकता है । अतः दानगृहीता कोई एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है । एक से अधिक दानगृहीता के मामले में प्रत्येक दानगृहीता की स्वीकृति पृथकृपृथक आवश्यक होती है । प्रत्येक दसगृहीता का अंश भी विधिवत होना चाहिये ।

कब्जे का परिदान--

कब्जे का परिदान वैधदान की अन्तिम अपेक्षा है । दान की घोषणा तथा उसके प्रतिग्रहण द्वारा विषय वस्तु का स्वामित्व दानग्रहीता में निहित हो जाता है । स्वामित्व निहित हो जाना पर्याप्त नहीं यह भी आवश्यक है कि दानग्रहीता उस सम्पत्ति का उपभोग भी करे । अतः कब्जे का परिदान किये विना दान पूर्ण नहीं होता है । कब्जे के परिदान के अभाव में दान शून्य होगा ।

कब्जे का परिदान निम्नलिखित दो प्रकार से किया जा सकता है--

1. वास्तविक परिदान
2. प्रलक्षित परिदान

वास्तविक परिदान-- वास्तविक परिदान से तात्पर्य ऐसे परिदान है जिसमें विषयवस्तु किसी चल सम्पत्ति के रूप में हो । वास्तविक परिदान से तात्पर्य कब्जे के स्पष्ट स्थानान्तरण से है ।

प्रलक्षित परिदान-- प्रलक्षित परिदान प्रतीकात्मक हस्तान्तरण है इसमें सम्पत्ति का वास्तविक परिदान नहीं किया जा सकता है । विधिक प्रकल्पना के अधीन प्रलक्षित परिदान प्रभावी होता है ।

ऐसे दान जिनमें कब्जे का परिदान आवश्यक नहीं है--

सामान्यतः कब्जे का परिदान, दान की वैधता की एक अनिवार्य शर्त है किन्तु कुछ मामलों में कब्जे का परिदान आवश्यक नहीं है । ऐसे आपवादिक मामले निम्नलिखित हैं--

1. जब दानकर्ता तथा दानगृहीता दोनों ही दान की विषय वस्तु में ही निवास करते हों,
2. जबकि दान पति तथा पत्नी के मध्य हुआ हो,
3. जबकि दान के पक्षकार संरक्षक तथा पाल्य हों,

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

4. जबकि दान की विषय वस्तु पहले ही से दानग्रहीता के कब्जे में रही हो,

दान की विषयवस्तु--

कोई भी चल, अचल, मूर्त अथवा अमूर्त सम्पत्ति दान की विषय वस्तु हो सकती है । यह आवश्यक है कि दानकर्ता उस पर स्वामित्व रखता हो । यह भी आवश्यक है कि दान की विषयवस्तु अन्तरणीय वस्तु हो । निम्नलिखित दान की विषयवस्तु हो सकती है ।

1. भावी सम्पत्ति का
2. उत्तराधिकार की सम्भावना मात्र

अनुप्रयोज्य दावा एक अमूर्त सम्पत्ति है । इसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, किन्तु इस पर स्वामित्व प्राप्त किया जा सकता है । इसका अन्तरण भी किया जा सकता है ।

किसी चल या अचल सम्पत्ति का लाभकारी हित एक अमूर्त सम्पत्ति है, यह दान योग्य है ।

किराया वसूल करने का अधिकार एक अनुप्रयोज्य दावा है । यह एक अमूर्त सम्पत्ति है। अतः यह दान योग्य है जहाँ कोई मुस्लिम किसी अनुयोज्य दावे का हिबा करता है, वहाँ इसका लिखित होना आवश्यक है । सम्पत्ति का अन्तरण अधि0 के अन्तर्गत अनुप्रयोज्य दावे का अन्तरण लिखित होना आवश्यक है ।

शिया विधि में ऋणदाता द्वारा ऋणी के अतिरिक्त किसी अन्य के पक्ष में ऋण का हिबा शून्य होगा ।

बन्धक मोचन की साम्या का दान--

बन्धक मोचन की साम्या का दान किया जा सकता है । अतः बन्धककर्ता बन्धक की विषय वस्तु में अपने सम्पतिक हित अर्थात् अमूर्त सम्पत्ति का अन्तरण कर सकता है । यह अन्तरण दान के रूप में भी हो सकता है ।

मेहर का दान--

मुस्लिम पत्नी का अंसदत्त मेहर एक ऋण माना जाता है । पति ऋणी समझा जाता है। जबकि पत्नी ऋणदाता । असंदत मेहर पाने का अधिकार एक अनुप्रयोज्य दावा है । यह हस्तान्तरण योग्य है । इसका हिबा किया जा सकता है । जहाँ मुस्लिम पत्नी असंदत होकर महेर का दान कहा जाता है । हिबा-ए-मेहर के परिणामस्वरुप मुस्लिम पति मेहर के संदाय के दायित्व से मुक्त हो जाता है ।

असंदत्त मेहर का दान अशर्त या सशर्त हो सकता है पति की मृत्यु के पश्चात् भी अंसदत्त मेहर का दान किया जा सकता है ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

मुशा का दान- दान की विषय वस्तु "मुशा" हो सकती है । "मुशा" अरवी भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ भ्रम है ।

मुस्लिम विधि में मुशा से तात्पर्य किसी संयुक्त सम्पत्ति के अविभाजित अंश से है ।

किसी सम्पत्ति का कोई सहस्वामी संयुक्त सम्पत्ति के अपने हित का दान कर सकता है। यहाँ संयुक्त सम्पत्ति के दो प्रकार विचारणीय होंगे । जिनकी विधि में मुशा सम्पत्ति को निम्नलिखित दो प्रकारों में बाँटा गया है--

1. मुंशा अविभाज्य 2. मुंशा विभाज्य

ऐसी संयुक्त सम्पत्ति जो विभाजन योग्य नहीं है । मुशा अविभाज्य सम्पत्तियाँ कहलाती हैं। मवेशी मशीन सीड़ी आदि अविभाज्य मुशा है इस सम्पत्ति पर मुशा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है । अतः इसके किसी अंश का दान बिना विभाजन तथा कब्जे के हस्तान्तरण के बिना किया जा सकता है ।

विभाज्य मुशा से तात्पर्य ऐसी संयुक्त सम्पत्ति से है जिसमें अंशों का विभाजन किया जा सकता है । विभाज्य मुशा के मामले में न केवल विभाजन बल्कि अन्तरण भी आवश्यक है । विभाजन दानकर्ता द्वारा या दानग्रहीता द्वारा कराया जा सकता है । प्रतिभाजित अंश का दान अनियमित माना जाता है किन्तु शून्य नहीं ।

मुशा के सिद्धान्त की सीमाऐं-

1. मुशा का सिद्धान्त केवल हनफी विधि में मान्य है । शिया तथा उन सम्प्रदायों में यह सिद्धान्त मान्य नहीं है ।

2. मुशा का सिद्धान्त केवल विभाज्य सम्पत्तियों के दान में लागू होता है ।

3. मुशा के सिद्धान्त के उल्लंघन में किया गया दान शून्य नहीं होता । यह केवल अनियमित होता है ।

4. मुशा का सिद्धान्त अनेक अपवादों के अध्ययधीन है । अतः निम्नलिखित मामलों में मुशा का सिद्धान्त लागू न होगा--

1. जहाँ मुशा का दान किस सह उत्तराधिकारी को किया गया हो वहाँ सह उत्तराधिकारी के पक्ष में किये गये दान में मुशा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है ।

2. जब जमींदारी प्रथा प्रचलन में थी तब जमींदारी के किसी अंश के दान में मुशा का सिद्धान्त लागू नहीं होता था ।

3. किसी कमानी के शेयर के अंश के दान में हिबा का सिद्धान्त लागू नहीं होगा ।

4. किसी व्यवसायिक नगर में स्थिति किसी उन्मुक्त सम्पत्ति के अंश के दान के मुशा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है ।

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

पूर्व-क्रयाधिकार (शुफा) (Pre-Emption)

पूर्व-क्रयाधिकार अथवा शुफा एक 'अधिकार' है । इस अधिकार के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति का स्वामी संलग्न सम्पत्ति के विक जाने पर उसे स्वयं क्रय कर लेने का अधिकारी होता है । दूसरे शब्दों में पूर्व-क्रयाधिकार (शुफा) का तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके प्रयोग द्वारा किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी पड़ोस की सम्पत्ति विकने पर क्रेता को वाध्य कर देता है कि वह सम्पत्ति उसके पक्ष में विक्रय कर दे । इस अधिकार का दावा करने वाला व्यक्ति पूर्व क्रेता अथवा शफी कहलाता है । शुफा के अधिकार की व्युत्पत्ति पैगम्वर मुहम्मद के कथन (सुन्नत) से मानी जाती है । एक स्थान पर उन्होने कहा है कि--

> "किसी मकान के पड़ोसी को उस मकान पर किसी अज्ञात व्यक्ति की तुलना में श्रेष्ठ अधिकार है और, किसी भूमि के पड़ोसी को उस भूमि पर एक अज्ञात व्यक्ति की तुलना में श्रेष्ठ अधिकार है-- तथा, यदि वह अनुपस्थित हो तो विक्रेता को उसके आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए ।"[1]

शुभा की परिभाषा-

मुल्ला ने शुफा को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है ।

"शुफा का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके अन्तर्गत किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी किसी व्यक्ति को वेची गयी अन्य अचल सम्पत्ति को क्रय कर सकता है ।"[2]

गोविन्द दयाल वनाम इनायत उल्ला[3] के वाद में न्यायमूर्ति महमूद के कथनानुसार--

"शुफा, किसी अचल सम्पत्ति के शान्तिपूर्ण उपभोग के लिए प्रदान किया गया उस सम्पत्ति के स्वामी का एक ऐसा अधिकार जिसके अन्तर्गत वह किसी दूसरे व्यक्ति को वेची गयी अचल सम्पत्ति उन्हीं शर्तों पर क्रेता से खरीद कर क्रेता के स्थान पर स्वयं अपने को प्रतिस्थापित कर सकता है ।"

पूर्व-क्रयाधिकार के अनिवार्य तत्व--

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस अधिकार के प्रमुख तत्व निम्न हैं--

1. शुफा एक साम्पत्तिक अधिकार है जो किसी अचल सम्पत्ति के स्वामी को ही प्राप्त हो सकता है ।

2. इस अधिकार के अन्तर्गत पूर्व क्रयाधिकारी अपनी अचल सम्पत्ति से संलग्न किसी अन्य अचल सम्पत्ति के विक जाने पर क्रेता के स्थान पर स्वयं को प्रतिस्थापित कर लेता है ।

---

1. हैदाया (हैमिल्टर-अनूदित) सं० II, पृ० 548
2. मुल्ला, प्रिन्सिपल्स ऑफ मुहम्मडन लॉ, सं० XVIII, पृ० 255
3. (1885) 7 इलाहावाद 755

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

3. पूर्व - क्रयाधिकारी विकी हुई सम्पत्ति को क्रेता से ठीक उन्हीं शर्तों पर पुनः क्रय करने का अधिकारी होता है जिसमें क्रेता ने उसे क्रय किया हो ।

4. इस अधिकार का प्रयोग मुस्लिम अथवा गैर मुस्लिम किसी भी क्रेता के विरुद्ध किया जा सकता है ।

5. यह एक प्रकार का विशेषाधिकार है जिसके द्वारा अचल सम्पत्ति का स्वामी अपनी सम्पत्ति का शान्तिपूर्ण उपयोग करने को सुविधा प्राप्त करता है ।

शुफा की प्रकृति--

पूर्व क्रयाधिकार का उद्देश्य किसी अचल सम्पत्ति के स्वामी को सम्पत्ति का शान्तिपूर्ण उपभोग प्रदान करना है । यह सिद्ध हो जाने पर कि दावेदार को यह अधिकार प्राप्त है यह प्रश्न महत्वहीन हो जाता है कि संलग्न सम्पत्ति का क्रेता कौन है । चूँकि इस अधिकार का प्रयोग प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जिसने भी सम्पत्ति का क्रय किया हो, अतः शुफा एक सर्वबन्धी अधिकार है ।

पूर्व क्रयाधिकार के विधिक प्रभाव

पूर्व क्रयाधिकारी के पक्ष में शुफा का अधिकार सिद्ध हो जाने पर विक्री हुई संलग्न सम्पत्ति को क्रेता से पुनः क्रय कर लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है । पूर्व क्रयाधिकार के विधिक प्रभाव निम्नलिखित हैं--

1. मूल क्रेता ने जिस मूल्य तथा जिन शर्तों पर सम्पत्ति को क्रय किया हो ठीक उसी मूल्य तथा उन्हीं शर्तों पर पूर्व क्रयाधिकारी भी मूल क्रेता से सम्पत्ति को क्रय कर सकता है ।

2. पूर्व-क्रयाधिकारी की सम्पत्ति का स्वामित्व-- सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही प्राप्त हो जाता है । जब तक मूल-क्रेता द्वारा कब्जे का अन्तरण नहीं होता तब तक सम्पत्ति का स्वामित्व पूर्व-क्रयाधिकारी के पक्ष में निहित नहीं होता है । परन्तु पूर्व क्रयाधिकारी न्यायालय को डिक्री के आधार पर ही क्रेता को कब्जे के अन्तरण के लिये बाध्य कर सकता है, अन्यथा नहीं ।

3. जब तक कब्जे का अन्तरण पूर्व -क्रयाधिकारी के पक्ष में नहीं होता तब तक सम्पत्ति के उपभोग तथा इसके लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार मूल-क्रेता के पास ही रहता है । परन्तु सम्पत्ति का अन्तरण तथा मूल्य का भुगतान यदि न्यायालय की डिक्री के आदेशानुसार किया गया हो तो पूर्वक्रयाधिकारी द्वारा मूल्य का भुगतान कर देने के बाद ही वह सम्पत्ति का स्वामी बन जाता है और सम्पत्ति के लाभांश का अधिकार भी उसे प्राप्त हो जाता है ।

4. उल्लेखनीय है कि कानून की दृष्टि में पूर्व -क्रयाधिकारी को सम्पत्ति का स्वामित्व मूल क्रेता द्वारा नहीं प्राप्त होता, वह केवल मूल क्रेता के स्थान पर अपने को स्थापित कर लेता है?[1]

---

1. शम्शुद्दीन बनाम अलाउद्दीन ए०आई०आर० (1932) इलाहाबाद 138

JSD LAW College

Scanned with CamScanner

5. पूर्व-क्रयाधिकारी क्रेता से सम्पत्ति ठीक उसी अवस्था में प्राप्त करने का अधिकारी है जिसमें स्वयं क्रेता ने इसे खरीदी हो । मूल-विक्रय तथा सम्पत्ति के पुनः विक्रय के दौरान मूल-क्रेता ने यदि कोई अभिवृद्धि की हो तो अभिवृद्धि यदि अस्थायी है, तो पूर्व क्रयाधिकारी मूल-क्रेता को इसे हटाने के लिये वाध्य कर सकता है । परन्तु, अभिवृद्धि के स्थायी या हटा सकने योग्य न होने पर पूर्व क्रयाधिकारी क्रेता को इस अभिवृद्धि का मूल्य देने के वाद ही सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त कर सकता है ।

6. यदि विक्रय पूर्ण हो चुका हो परन्तु, मूल-क्रेता मूल्य का पूरा या इसके कुछ अंश का भुगतान न कर पाया हो, तो भी पूर्व-क्रयाधिकारी का सम्पत्ति को पुनः क्रय करने का अधिकार वना रहता है ।

7. मूल-क्रेता द्वारा सम्पत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अन्तरित कर दिये जाने पर भी पूर्व-क्रयाधिकारी का इसे पुनः क्रय कर लेने का अधिकार समाप्त नहीं होता है ।

8. पूर्व-क्रयाधिकार की डिक्री अन्तरण-योग्य नहीं है । अतः पूर्व क्रयाधिकारी यदि इस डिक्री को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अन्तरित भी कर दे तो वह व्यक्ति डिक्री के आधार पर पूर्व-क्रय का अधिकारी नहीं हो सकता है ।[1]

पूर्व-क्रयाधिकार का विलोप : अधिकार कव समाप्त होता है ?

निमनलिखित परिस्थितियों में पूर्व-क्रयाधिकार समाप्त हो जाता है--

(1) मौन सम्मति अथवा अधित्याग-- अधिकार होते हुये भी पूर्व क्रयाधिकारी यदि स्वेच्छा से इसे प्रभावी करने के लिए प्रथम या द्वितीय माँगों की औपचारिकतायें पूरी नहीं करता तो मान लिया जाता है कि उसने अपने अधिकार को त्याग दिया है ।

(2) सह-वादियों का कुसंयोजन-- यदि किसी पूर्व क्रयाधिकारी ने अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को भी वादी बना दिया हो जो वास्तविक पूर्व क्रयाधिकारी न हो तो उसका वाद खारिज हो जाता है ।

(3) समपहरण अर्थात् जब्त होना-- निम्नलिखित परिस्थितियों में पूर्व-क्रयाधिकार जब्ती द्वारा समाप्त हो जाता है--

(क) पूर्व क्रयाधिकारी द्वारा शुफा के अधिकार को विक्रेता के पक्ष में निर्मुक्त कर देने पर उसका अधिकार समाप्त हो जाता है ।

(ख) यदि मूल विक्रय ही किन्हीं कारणों से शून्य हो गया हो तो अधिकार रहते हुएभी पूर्व-क्रयाधिकारी इसको प्रभावी करा पाने में असमर्थ हो जाता है । ऐसी दशा में अधिकार अपने आप समाप्त हो जाता है ।[2]

---

1. तेजपाल वनाम गिरधारीलाल (1908) 30 इलाहावाद 130
2. हैदाया (हैमिल्टर : अनूदित), सं० पृ० 560

JSB LAW College

Scanned with CamScanner

(ग) पूर्व-क्रय के अधिकार का प्रयोग यदि केवल सह-दायभागी द्वारा ही सम्भव हो तो इनमें आपस में बंटवारा हो जाने पर इनके शुफा के अधिकार समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि बंटवारे के बाद में सह-दायभागी रह ही नहीं जाते ।

(घ) किसी अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व क्रयाधिकारी सम्पत्ति को खरीद सकने में असमर्थ हो तो उसका पूर्व क्रय का अधिकार जब्त हुआ माना जाता है । **सूरजमान बनाम सोमवार पुरी[1] में इलाहाबाद उच्च न्यायालय** ने निर्धारित किया कि चूँकि बुन्देलखण्ड एलीनेशन ऐक्ट 1903 के अन्तर्गत कोई भी विक्रेता पूर्व-क्रयाधिकारी को ही सम्पत्ति बेचने के लिये बाध्य नहीं है । अतः पूर्व - क्रय का अधिकार होते हुए भी वह उसे प्रभावी नहीं करा सकता ।

(4) पूर्व-क्रयाधिकारी की मृत्यु-- प्रथम या द्वितीय माँगों के पश्चात् अथवा न्यायालय में वाद के दौरान पूर्व क्रयाधिकारी यदि दिवंगत हो जाये तो उसका पूर्व क्रयाधिकार समाप्त हो जाता है ।

परन्तु शिया तथा शफी विधि के अन्तर्गत पूर्व-क्रयाधिकारी की मृत्यु होने पर अधिकार समाप्त नहीं होता । इण्डियन सक्सेशन एक्ट, 1925 की धारा 306 के अन्तर्गत भी मुकदमे के दौरान पूर्व क्रयाधिकारी की मृत्यु हो जाने पर अधिकार समाप्त नहीं होता और मृतक पूर्वाधिकारी के विधिक प्रतिनिधि पूर्व क्रय के वाद को जारी रख सकते हैं ।

वक्फ (WAKF)

वक्फ का शाब्दिक अर्थ है 'बाँधना' अथवा 'रोक रखना' । विधि की शब्दावली में वक्फ का तात्पर्य सम्पत्ति की एक ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें सम्पत्ति अहस्तान्तरणीय होकर सदैव के लिये 'बँध' जाती हो ताकि इससे प्राप्त होने वाला धार्मिक अथवा पुण्य के कार्यों के लिए निरन्तर प्राप्त होता रहे । इस्लाम-पूर्व के अरब-समाज में वक्फ का प्रचलन नहीं था । कुरान में भी वक्फ से सम्बन्धित नियमों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है । मुस्लिम-विधि की इस शाखा का विकास मुख्यतः पैगम्बर मुहम्मद की परम्पराओं (सुन्नत) के आधार पर हुआ है ।

वक्फ की परिभाषा

मुसलमान वक्फ विधिमान्यकरण अधिनियम, 1913 की धारा 2(1) के अनुसार वक्फ की परिभाषा निम्नवत है :

"वक्फ का अर्थ है, इस्लाम धर्म में आस्थावालन किसी व्यक्ति द्वारा किया गया किसी की सम्पत्ति का एक ऐसा स्थायी - समर्पण जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया हो जो मुस्लिम विधि के अन्तर्गत धार्मिक, पुण्यशील अथवा खैराती कार्य के रूप में मान्य हो ।[2]"

---

1. (1914) 37 इलाहाबाद 663
2. वक्फ ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत भी वक्फ की लगभग वही परिभाषा दी गयी है । अन्तर केवल इतना है कि 1854 के अधिनियम में सम्पत्ति के स्थान पर इसे स्पष्ट करते हुये 'चल अथवा अचल सम्पत्ति' शब्दावली प्रयुक्त हुई है ।

ISBL LAW College

Scanned with CamScanner